भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2701

दिनांक 24 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यापक कार्यनीति

2701. श्रीमती संगीता यादव:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सभी नागरिकों के लिए प्रचुर अवसर सृजित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नौ प्रमुख प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करके केंद्रीय बजट 2024-25 में रूपांकित 'विकसित भारत' को प्राप्त करने के लिए व्यापक कार्यनीति में ऊर्जा सुरक्षा भी शामिल है;

(ख) यदि हां, तो 'विकसित भारत' के एक घटक के रूप में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजनओं, रोडमैप या कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य मंत्रालयों/नीति आयोग के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : जी हां। विद्युत मंत्रालय ने 'विकसित भारत' के एक घटक के रूप में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लक्ष्य को साकार करने के लिए मौजूदा पहलों के साथ-साथ कई सक्रिय उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) वर्ष 2031-32 तक 388 गीगावाट की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए गैर-जीवाश्म स्रोतों से 615 गीगावाट सहित उत्पादन क्षमता को 900 गीगावाट तक विस्तारित करना।

(ii) क्षमता को अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए गतिशील 10-वर्षीय "संसाधन पर्याप्तता योजनाएँ (आरएपी)" विकसित करना। राज्यों को इन योजनाओं के अनुसार सभी स्रोतों से उत्पादन क्षमताएँ बनाना शुरू करने की भी सलाह दी गई है।

(iii) वर्ष 2031-32 तक बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) से 47 गीगावाट/236 गीगावाट घंटा तथा पंप स्टोरेज संयंत्रों (पीएसपी) से 27 गीगावाट/175 गीगावाट घंटा की कुल क्षमता की योजना बनाना, ताकि बड़े पैमाने पर परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा (वीआरई) को ग्रिड में एकीकृत करने की चुनौतियों से निपटा जा सके।

(iv) भारत में प्रौद्योगिकी-ऐग्नॉस्टिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने पहले ही कई कदम उठाए हैं यथा 'ईएसएस को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा' जारी करना और उत्पादन, संचरण और वितरण में बीईएसएस के लिए दिशानिर्देश; बीईएसएस के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) योजना शुरू करना; हाइड्रो पीएसपी के लिए 25 साल और बीईएसएस के लिए 12 साल के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क माफ करना; सीईआरसी के तहत ईएसएस को द्वितीयक और तृतीयक रिजर्व सहायक सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देना; विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) संशोधन नियम, 2022 जारी करना; और बैटरी विनिर्माण का समर्थन करने के लिए उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के लिए उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम शुरू करना।

(ग) और (घ) : सरकार ने 25-वर्षीय विजन, "विकसित भारत@2047" तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग के समन्वय से सचिवों के 10 क्षेत्रीय समूह (एसजीओएस) स्थापित किए गए हैं। विद्युत मंत्रालय एसजीओएस-3 (संसाधन समूह) का हिस्सा है, जो ऊर्जा स्वतंत्रता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, खनिज सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, वैश्विक उपस्थिति, संसाधन पारिस्थितिकी तंत्र सुधार तथा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास जैसे लक्ष्यों पर छह अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ काम कर रहा है।
